न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—जगदीश आर्य

अपील संख्या 21/2024 तारीख रजू 18.03.2024

गंगाविशन पुत्र गोपाल गुर्जर निवासी सेवतीखुर्द तह.खण्डार। ——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार खण्डार। ——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित —

श्री हरिमोहन जाट एडवोकेट — अपीलार्थी
पेरोकार राजस्व — रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 31.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 133/2024 मे पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम सेवतीखुर्द के आराजी खसरा नम्बर 345/210 रकबा 4.00 बीघा किस्म गैर ब0का0च0 पर संवत 2080 फसल रबी मे सरसो काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून रूयेदाद मिसल होने के कारण अपास्त होने योग्य है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का भली प्रकार से विवेचन नहीं किया गया है एवं पत्रावली से बाहर जाकर अपना स्वेच्छा चारी निर्णय पारित किया गया है इसलिये माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि अपीलान्ट को कोई सम्मन नहीं मिला तथा अगर अपीलान्ट को सम्मन नोटिस मिलता तो वह अपने पक्ष में अपना जवाबदेही पेश करता परन्तु माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने गलत प्रकार से अपना निर्णय उपस्थिति दिखाकर किया गया है जो माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात का भी ध्यान नहीं दिया है कि उक्त आराजीयात ग्राम सेवती खुर्द की आराजी खसरा नम्बर 345/210 रकबा 4.00 बीघा किस्म ब.का.च. पर कोई वर्तमान में कब्जाकाश्त नहीं है तथा नही अपीलान्ट कोई पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है। मात्र पटवारी हल्का ने गलत प्रकार से रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अपीलान्ट को

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

90 दिवस के सिविल कारावास सजा से व जुर्माना से दण्डित किया गया है। इसलिये माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह नहीं खोला है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी बाबत किस साल सम्वतों में अपीलान्ट ने क्या फसल काश्त की। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट को तामील होने पर अपीलान्ट अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 06.02.2024 को उपस्थित हुआ। जहां तक अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो। इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिकमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिकमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया है एवं अतिक्रमण नहीं होने तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिकमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 06.02.2024 में अपीलान्ट के खसरा नम्बर 345/210 रकबा 4.00 बीघा किस्म गैर ब0का0च0 में फसल रबी में सरसो की फसल कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करना तथा पश्चातवर्ती अतिकमी होना पाया जाता है किन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलार्थी का उक्त आराजी खसरा नम्बर 345/210 रकबा 4.00 बीघा किस्म गैर ब0का0च0 पर पश्चातवर्ती अतिकमी होने के पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे नायब तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2024 में बेदखली, शास्ति एवं फसल नीलामी का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के साधारण सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर